हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	28/11/2024 वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/1/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर
9-1-2025	वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस सर्वना पत्र सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने निवेदन इस प्रकार है कि मौजा - संबंधित में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाता संख्या 40 00 फाल्गी के खाता संख्या 91 व 68 में वर्णित आराजियात में स्थित गोचरभूमि का 44 बिस्वा निर्दिष्ट था उक्त सर्वना पत्र वर्णित आराजियात में बिस्वा 1/8 दर्ज गर किया गया। गोचरभूमि के बारिस सरकारी है। उक्त बिस्वा गलत दर्ज हो जाने से अप्रार्थी के नाम दर्ज हो जाने से कुर्क - कुर्क करने पर आमादा है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के पालन में बिना पत्रावली इकतरफा संख्या 01 तरफ अपने पक्ष में निवेदन किया कि सर्वना पत्र वर्णित आराजियात को कुर्क - कुर्क नहीं करना चाहता है ना ही प्रार्थी को कब्जे से बेदखल करना चाहता है ना कोई विवाद हुआ है। सर्वना पत्र वर्णित आराजियात का अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार है अपने पिताजी के नाम में काबिज है। व खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारी कि पक्ष व्यथित नहीं है व खातेदार को अपनी आराजियात का उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया कि गई जब्त पर मसल किया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनती है। साथ ही खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारी कि पक्ष व्यथित नहीं होता है। प्रार्थी का सर्वना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली मैनल अग्रसर होकर मन्तव्य के साथ हो। आज्ञा प्रदान की।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़